

MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.11(137)/ VS/2021/Power/ 2760

Dated:- 28/07/2021

To

✓ The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Un-Starred Question No.136

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Un-Starred Question No.136 for 30.07.2021 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above


28/07/2021

(R.S.Samria)

Dy. Director (Power)

Copy to:-

- ✓ 1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
 विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या—136

दिनांक :- 30.07.2021

प्रश्नकर्ता श्री महेन्द्र गोयल

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर																						
क)	क्या यह सत्य है कि टीपीडीडीएल द्वारा मकानों से 2 फुट दूरी से जा रही तारों की वजह से नये बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं;	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि बिजली के कनेक्शन डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 10 और 11 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जाते हैं। निरीक्षण करने पर यदि डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 11(2)(iv) में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो बिजली वितरण कंपनी लोड को मंजूरी नहीं देती है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'क')																						
ख)	यदि हाँ, तो वर्तमान समय में रिठाला विधान सभा क्षेत्र के कितने आवेदन विचाराधीन हैं;	भवन और विद्युत नेटवर्क के बीच न्यूनतम दूरी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 द्वारा समय—समय पर संशोधित नियम 60 और 61 में निर्दिष्ट की गई है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'ख')	टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि सुरक्षा के आधार पर पिछले 02 वर्षों से मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में 2031 आवेदन निलंबित है, जिनका विवरण इस प्रकार है:																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>जिला</th> <th>19–20</th> <th>20–21</th> <th>टोटल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बादली</td> <td>193</td> <td>123</td> <td>316</td> </tr> <tr> <td>मंगोल पुरी</td> <td>209</td> <td>296</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>रोहिणी</td> <td>579</td> <td>631</td> <td>1210</td> </tr> <tr> <td>टोटल</td> <td>981</td> <td>1050</td> <td>2031</td> </tr> </tbody> </table>	जिला	19–20	20–21	टोटल	बादली	193	123	316	मंगोल पुरी	209	296	505	रोहिणी	579	631	1210	टोटल	981	1050	2031	
जिला	19–20	20–21	टोटल																					
बादली	193	123	316																					
मंगोल पुरी	209	296	505																					
रोहिणी	579	631	1210																					
टोटल	981	1050	2031																					
ग)	विभाग ने पिछले 2 वर्षों में ऐसे कितने आवेदकों को कनेक्शन जारी किए हैं; और	टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि पिछले 2 वर्षों से मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में कुल 12950 नये कनेक्शन जारी किए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>जिला</th> <th>19–20</th> <th>20–21</th> <th>टोटल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बादली</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>मंगोल पुरी</td> <td>1872</td> <td>2592</td> <td>4464</td> </tr> <tr> <td>रोहिणी</td> <td>4592</td> <td>3892</td> <td>8484</td> </tr> <tr> <td>टोटल</td> <td>6465</td> <td>6485</td> <td>12950</td> </tr> </tbody> </table>	जिला	19–20	20–21	टोटल	बादली	01	01	02	मंगोल पुरी	1872	2592	4464	रोहिणी	4592	3892	8484	टोटल	6465	6485	12950	
जिला	19–20	20–21	टोटल																					
बादली	01	01	02																					
मंगोल पुरी	1872	2592	4464																					
रोहिणी	4592	3892	8484																					
टोटल	6465	6485	12950																					
घ)	वर्तमान समय में टीपीडीडीएल की सम्बंधित विषय पर क्या योजना है?	टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि सम्बंधित विषय पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य है।																						

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

२८/७/२०२१

(आर.एस.सामरिया)

उप-निदेशक (ऊर्जा)

R. S. SAMRIA

Dy. Director

Department of Power

Govt. of NCT of Delhi

Delhi Secretariat, New Delhi

(5) मौजूदा संपत्ति का पुनर्निर्माण: -

परिसर या इमारत के पूर्ण विध्युत और पुनर्निर्माण के मामले में निम्नलिखित लागू होंगे:

(i) मौजूदा कनेक्शन से विद्युत की आपूर्ति के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका परिसर के मालिक / अधिभोगी / विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से समर्पण किया जाना होगा।

(ii) मीटर और सर्विस लाइन को निकाल दिया जाएगा, और समझौता केवल लाइसेंसधारी को देय सभी देय राशि को प्राप्त करने के बाद समाप्त होगा और उसके बाद उपभोक्ता की सुरक्षा जमाराशि विधिवत नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा वापस की जाएगी।

(iii) परिसर के मालिक, अधिभोगी, विकासकर्ता, जैसा मामला हो, अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा और लाइसेंसधारी ऐसा अस्थायी कनेक्शन विनियमन 16 के अधीन प्रदान करेगा।

बशर्ते ऐसे सभी मामलों में अस्थायी कनेक्शन इस तरह के परिसर के लिए बकाया राशि, यदि कोई हो, का पूरी तरह से भुगतान किए जाने के बाद प्रदान किया जाएगा।

(iv) ऐसे पुनर्निर्मित परिसर या भवन को नए परिसर के रूप में माना जाएगा और उपभोक्ता को इन विनियमों के अनुसार नए कनेक्शन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(v) इस तरह के पुनर्निर्मित परिसर के लिए कोई नया कनेक्शन, आवेदक द्वारा परिसर के प्रति बकाया देय राशि के विधिवत भुगतान किए जाने के बाद ही दिया जाएगा।

बशर्ते यह कि इस तरह के पुनर्निर्मित भवन का कई मालिकों द्वारा अधिभोगं किया जाता है, तो पुनर्निर्मित भवन में ऐसे कई मालिकों के लिए नए कनेक्शन (कनेक्शनों) को इस रूप में माना जाएगा जैसे कि संपत्ति को विनियमन 10 (4) के रूप में उप-विभाजित किया गया है।

(6) मौजूदा संपत्ति का नवीकरण: -

विनियमन 10 (5) के अधीन, घरेलू उपभोक्ता द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग की जा रही मौजूदा संपत्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन घरेलू श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा:

(i) उपभोक्ता लाइसेंसधारी को अग्रिम नोटिस देगा,

(ii) उपभोक्ता द्वारा इस आशय का एक वर्चन-पत्र दिया जाएगा कि परिवर्तन/परिवर्धन मौजूदा विलिंग

11. नया विद्युत कनेक्शन: -

लाइसेंसधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, नए कनेक्शन के लिए आवेदन को संसाधित करेगा।

(1) सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना: -

(i) आवेदक आयोग के आदेशों में अधिसूचित रूप में नए कनेक्शन के लिए लाइसेंसधारी के पास आवेदन करेगा:

बशर्ते यह कि अतिरिक्त उच्च तनाव या उच्च तनाव वोल्टेज रतर पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक पर आयोग के आदेशों में अधिसूचित एक अप्रतिदेय पंजीकरण-सह-प्रसंरकरण शुल्क लगाया जाएगा।

(ii) आवेदक लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर 50 केवीए और उससे अधिक के लिए नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है:

बशर्ते यह कि 50 केवीए और उससे अधिक के लिए नए कनेक्शन के लिए आवेदन, जब तक कि ऐसा कोई अन्य निम्नतर मान नहीं हो जैसा समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, केवल 50 केवीए लाइसेंसधारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) यदि आवेदक अनुमोदित विनिर्देशों का अपने खुद का मीटर प्रदान करना चाहता है, तो वह आवेदन करने के समय स्पष्ट रूप से लाइसेंसधारी को सूचित करेगा।

(iv) लाइसेंसधारी आवेदक को आवेदन पत्र में सभी कमियों को केवल एक बार में बताएगा और बाद में कोई नई कमी नहीं उठाएगा।

(v) यदि लाइसेंसधारी आवेदक को मौके पर उसके आवेदन में किसी भी कमी के बारे में या 50 केवीए आवेदन के मामले में निर्धारित 2 (दो) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, सूचित करने में विफल रहता है, तो यह आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख पर स्थीकार किया गया समझा जाएगा।

(vi) यदि आवेदक इस तरह की नुटियों को हटाने में विफल रहता है या कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर कमियां हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(vii) इस विनियम के तहत सूचित कमियों को दूर करने पर ही आवेदन र्हीकार किया गया माना जाएगा।

(2) क्षेत्र निरीक्षण: -

(i) यदि आवेदन प्रपत्र पूरा हो गया है, तो लाइसेंसधारी आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के समय, लिखित पावती प्रदान करते हुए आवेदक के साथ आपसी परामर्श से आवेदक के परिसर के निरीक्षण के लिए एक तारीख और समय निर्धारित करेगा।

(ii) निरीक्षण की तिथि आवेदन र्हीकार करने की तिथि से 2 (दो) दिनों के भीतर निर्धारित की जाएगी: बशर्ते यह कि अगर आवेदक क्षेत्र निरीक्षण के लिए एक अलग तिथि और समय चाहता है, जो निर्धारित तिथि और समय से परे है, तो आवेदक द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय न तो कनेक्शन जारी करने के लिए लिए गए कुल समय की गणना के लिए और न ही क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ विचार हेतु लिया जाएगा:

बशर्ते यह कि यदि आवेदक चाहता है, तो वह आयोग के आदेशों में यथा अधिसूचित निरीक्षण शुल्क के भुगतान पर, लाइसेंसधारी के लिए किसी छुट्टी के दिन निरीक्षण निर्धारित करवा सकता है।

(iii) लाइसेंसधारी नियत तारीख और समय पर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में परिसर के क्षेत्र निरीक्षण करेगा।

(iv) लाइसेंसधारी को, अगर निरीक्षण पर, निम्नलिखित का पता चलता है तो वह लोड की र्हीकृति नहीं देगा:

(क) आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी वार्ताप्रिक रिथ्टि से भिन्न है, या

(ख) रथापना दोषपूर्ण है या

(ग) यदि उर्जाकरण किसी भी आयोग या प्राधिकरण द्वारा उनके किसी भी विनियमन या आदेश के तहत यथा निर्दिष्ट या निर्धारित अधिनियम, विद्युत नियमों, विनियमों के उपबंध या किसी अन्य अपेक्षा के उल्लंघन में हो।

(v) लाइसेंसधारी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों/कमियों, यदि कोई हो, के बारे में आवेदक को मौके पर लिखित सूचना देगा।

(vi) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि दोष/कमियों की सूचना प्राप्त होने से 30 (तीस) दिनों के भीतर सभी दोष/कमियों को दूर कर लिया जाए।

(vii) आवेदक से दोष/कमियों को दूर करने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी आवेदक के परिसर के पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदक को तिथि के बारे में सूचित करेगा, जो आवेदक से दोष/कमियों को दूर कर लिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों से अधिक बाद की नहीं होगी।

(viii) यदि आवेदक ऐसे दोष/कमियों को दूर करने में विफल रहता है या दोष/कमियों की सूचना मिलने रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा:

बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी कार्य के पूरा होने के लिए आवेदक को अतिरिक्त समय दे सकता है, यदि आवेदक दोषों / कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिन के अंदर ही लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

(ix) यदि लाइसेंसधारी आवेदन की र्हीकृति की तिथि या स्थल संबंधी दोषोंकमियों को हटाने की सूचना मिलने की तारीख से 2 (दो) दिनों के भीतर क्षेत्र निरीक्षण/पुनः निरीक्षण करने में विफल रहता है, तो हटाने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 2(दो) दिन बाद, जैसा भी मामला हो र्हीकृत किया गया माना जाएगा।

(3) लोड र्हीकृति और मांग नोट: -

(i) इस अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा किए गए उपबंधों के सिवाय, लाइसेंसधारी आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए लोड को मंजूरी देगा।

(ii) लाइसेंसधारी क्षेत्र निरीक्षण के 2 (दो) दिनों के भीतर, दोषों/कमियों को सुधार लिए जाने की शर्त के अध्यधीन, लागू शुल्क के लिए आवेदक को मांग नोट देगा जिसमें आवेदन जमा करने के समय, जमा किए (एसएलडी) प्रभार, जमानत जमा, पूर्व भुगतान भीटर के लिए जमानत, सड़क पुनर्स्थापना प्रभार, रीकेनेक्शन प्रभार आदि जैसे शीर्षों के अंतर्गत इसका विवरण दिया जाएगा:

(5) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करेंट लाइनों के लिए जमीन से अंतराल नीचे दी गई ऊंचाई से कम नहीं होगा।

क्र. सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	जमीनी अंतराल (मीटर)
1.	100 के.वी	6.1
2.	200 के.वी	7.3
3.	300 के.वी	8.5
4.	400 के.वी	9.4
5.	500 के.वी	10.6
6.	600 के.वी	11.8
7.	800 के.वी	13.9

(6) जमीनी अंतराल अनुसूची X के अनुसार होगा।

59. सुचालकों तथा ट्रॉली वायरों के बीच अंतराल - (1) ट्रॉली वायर का उपयोग करने वाली ट्रॉली अथवा ट्राम-वे को पार करने वाली ओवरहेड लाइनों के सुचालक ट्रॉली वायर के उपर कम से कम निम्नलिखित ऊंचाई पर रहेंगे -

(i) 650 वो. तक वोल्ट वाली लाइने - 1.2 मी.

परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ बीयरर वायर से लटकने वाला इंसुलेटेड सुचालक ट्रॉली वायर के ऊपर से गुजर रहा है, ऐसे इंसुलेटेड सुचालक के लिए न्यूनतम अंतराल 0.6 मी. होगा।

(ii) 650 वो. से अधिक और 11000 वो. तक और - 1.8 मी. सहित वोल्ट वाली लाइने


(iii) 11000 वो. से अधिक किन्तु 33000 वो. तक - 2.5 मी. वोल्ट वाली लाइने

(iv) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली लाइने - 3.0 मी.

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में, जो भी व्यक्ति बाद में लाइन बिछाता है, वह अपनी लाइन तथा कथित उप-विनियम के अनुसार क्रॉस होने वाली लाइन के बीच अंतराल रखेगा।

परन्तु नीचे की लाइन बाद में बिछाने वाला यदि वैर्यांत्रिक अंतराल रखने में असमर्थ है, तो इस उप-विनियम के अनुपालन में ऊपर की लाइन में बदलाव की लागत वहन करेगा।

60. 650 वो. से अधिक वोल्ट की लाइनों और सर्विस लाइनों की इमारतों से दूरी - (1) ओवरहेड लाइन जहाँ तक संभव हो, किसी मौजूदा भवन के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई भी इमारत नहीं बनाई जाएगी।



(2) ऐसे मामले में जहाँ 650 वो. से कम वोल्ट की कोई ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर या पास से गुजरती है अथवा समाप्त होती है, किसी भी पहुंच बिन्दु से, अधिकतम झोल के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम अंतराल रखा जाएगा, अर्थात्:-

(i) किसी भी सपाट छत, खुली बालकनी, वराण्डा, छत और झुकी हुई छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, उच्चतम बिन्दु से लम्बवत दूरी 2.5 मी.; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, सबसे नजदीक के बिन्दु से समानांतर दूरी 1.2 मी.; और

(ii) ढलवां छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, लाइन के तत्काल नीचे से 2.5 मी. की लम्बवत दूरी; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, 1.2 मी. का अंतराल।

(3) कोई सुचालक, जो इस प्रकार लगाया है कि उसकी दूरी उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम है, पर्याप्त रूप से इंसुलेटेड होगा और कम से कम 350 कि.ग्रा. के भंगुरता बल वाले अर्थ किए गए खुले बीयरर वायर से पर्याप्त अंतरालों पर जुड़ा होगा।

(4) समानांतर दूरी तब नापी जाएगी, जब लाइन वायु दाब के कारण लम्बवत से अधिकतम विचलन पर हो।

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "इमारत" शब्द में कोई भी अवसंरचना, चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई, सम्मिलित है।

61. 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइनों की इमारतों से दूरी - (1) ओवरहेड लाइन जहाँ तक संभव हो मौजूदा इमारत के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहाँ 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली ओवरहेड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के हिस्से के ऊपर से अथवा नजदीक से गुजरती है, ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे ऊचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल के आधार पर लम्बवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

(i) 650 वो. से अधिक किन्तु 33,000 वो. - 3.7 मी.
तक और सहित वोल्ट वाली



लाइन के लिए

- (ii) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली - 3.7 मी, + 0.30
 लाइन के लिए
 मी. प्रत्येक
 अतिरिक्त 33,000
 वो. या इसके भाग
 के लिए
- (3) सबसे नजदीकी सुचालक और ऐसी इमारक के बीच की समानांतर दूरी, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -
- 650 वो. से अधिक और 11,000 वो. 1.2 मी.
 तक और सहित वोल्ट वाली लाइन
 के लिए
 - 11000 वो. से अधिक और 33,000 वो. - 2.0 मी.
 तक और सहित वोल्ट वाली लाइन
 के लिए
 - 33 के.वी. वोल्ट से अधिक वाली
 लाइन के लिए 2.0 मी. + 0.3 मी.
 प्रत्येक अतिरिक्त 33 के.वी.
 अथवा इसके भाग के लिए
- (4) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करेंट (एचडीडीसी) प्रणाली के लिए, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर इमारत से लम्बवत दूरी और समानांतर दूरी इस प्रकार रखी जाएगी:-

क्र.सं.	डीरी वोल्ट (के.वी.)	लम्बवत दूरी (मीटर)	समानांतर दूरी (मीटर)
1	100 के.वी.	4.6	2.9
2	200 के.वी.	5.8	4.1
3	300 के.वी.	7.0	5.3
4	400 के.वी.	7.9	6.2
5	500 के.वी.	9.1	7.4
6	600 के.वी.	10.3	8.6
7	800 के.वी.	12.4	10.7

- (5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में निर्धारित दूरी के अनुसार होगी।



स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'इमारत' शब्द में कोई भी अवसंरचना चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई, को समिलित माना जाएगा।

62. एक ही अवलम्ब पर भिन्न-भिन्न वोल्ट वाले सुचालक - ऐसे मामले में जहां एक ही प्रणाली के अलग-अलग वोल्ट वाले सुचालक एक ही अवलम्ब पर लगाए गए हैं, इनका स्वामी, कम वोल्ट से लाइनमैन और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा, प्रणाली का यह अधिक आवेशन उच्च प्रणाली से लीकेज या संपर्क होने और निर्माण के पैटर्न के कारण हो सकता है। दो प्रणालियों के सुचालकों के बीच बनाए रखने योग्य न्यूनतम् दूरी, एक-दूसरे को क्रॉस करने वाली लाइनों के संबंध में विनियम 69 में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।
63. **इमारतों, अवसंरचनाओं, फ्लड बैंक (तटबंध) और रुड़कों के उठान का निर्माण या इनमें फेरबदल -** (1) ओवरहेड लाइन चाहे वह इंसुलेटिंग पदार्थ से आवरित हों या न हों, खड़ी करने के बाद, यदि कोई व्यक्ति नई इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक बनाना चाहता है या किसी रोड की सतह को उठाना चाहता है अथवा किसी अन्य प्रकार का कार्य, चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई कराना चाहता है या किसी इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक अथवा रोड में या इनके ऊपर स्थाई अथवा अस्थाई विस्तार या फेरबदल करना चाहता, वह ऐसा करने के अपने हरादे प्रस्तावित इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक (तटबंध), सड़क अथवा विस्तार या फेरबदल और निर्माण के दौरान अपेक्षित ढांचे को दर्शाने वाला पैमाने सहित नवशा उपलब्ध कराएगा।
- (2) ऐसी सूचना मिलने पर आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी नीचे दी गई जांच करेगा -
- (i) क्या संदर्भित लाइन इन विनियमों और अन्य कानूनों के अनुसार विछाई गई थीं;
 - (ii) क्या यह तकनीकी रूप से व्यवहारिक है;
 - (iii) क्या यह मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) की आवश्यकता पूरी करता है;
 - (iv) क्या यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि ऐसा है, तो इस व्यक्ति को ओवरहेड लाइन के फेरबदल पर होने वाले संभावित व्यय की लागत के प्रावक्कलन के साथ एक नोटिस बिना किसी देरी के भेजें और नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अनुमानित लागत की राशि आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी के पास जमा करने को कहें।
- (3) यदि यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी द्वारा आंकी गई लागत को और यहां तक कि इस लागत के भुगतान के संबंध में दायित्व को चुनौती देता है, तो विवाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा और उसका फैसला अंतिम होगा।
- (4) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर निम्नलिखित के आधार पर ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का आकलन करेगा, अर्थात् -